न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 125/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

कालुराम पुत्र श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादी**

बनाम्

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री खेतपाल जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. इन्द्राज पुत्र स्व. श्री खेतपाल जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. गुड्डी पुत्री स्व. श्री खेतपाल जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
4. प्रभुराम पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. रजीराम पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. शिशपाल पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. कमला पुत्री स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. बलराम पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. गुड्डी देवी पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. गीता पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. सरवती पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) – **मृत**

13/1 चिड़िया पुत्री स्व. श्रीमती सरवती पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:34
Reason: SelfAttested

13/2 हनुमान पुत्र स्व. श्रीमती सरवती पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. सावित्री पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. गुड्डी देवी पत्नी स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. कुलदीप पुत्र स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. राजेश पुत्र स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. तारा देवी पुत्री स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. सुलोचना पुत्री स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. बिरमा देवी पुत्री स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
22. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 16.4.2024

वादी कालूराम ने प्रतिवादीगण हनुमान वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के चाचा स्व. अर्जन पुत्र श्री लिछमन के नाम से तहसील संगरिया के चक 19 ए.एम.पी. के खाता सं. 7/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.519 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 की संयुक्त ... संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का ज... परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड ... दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 21 ... के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय् का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के मध्य विवाद हो गया व आपस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:37 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --3

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 21 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। क्योकि वादी के चाचा अर्जन एवं वादी के पिता चतरूराम ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि बंटवारानुसार प्राप्त कर ली थी। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 21 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) **वादी कालुराम पुत्र श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**
तहसील संगरिया के चक 19 ए.एम.पी. के खाता सं. 7/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.519 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 21 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 21 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 22 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 19 ए.एम.पी. के खाता सं. 7/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 21 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वादी ने वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 21 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:37 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --4

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के चाचा स्व. अर्जन पुत्र श्री लिछमन के नाम से तहसील संगरिया के चक 19 ए.एम.पी. के खाता सं. 7/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में. 0.519 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 21 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी को तहसील संगरिया के चक 19 ए.एम.पी. के खाता सं. 7/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.519 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के चाचा स्व. अर्जन पुत्र श्री लिछमन का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.4.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:34:37
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 125/2024

कालुराम पुत्र श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

बनाम् - वादी

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री खेतपाल जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. इन्द्राज पुत्र स्व. श्री खेतपाल जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. गुड्डी पुत्री स्व. श्री खेतपाल जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
4. प्रभुराम पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. रजीराम पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. शिशपाल पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. कमला पुत्री स्व. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री अर्जन जाति जाट निवासी 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) - **मृत विलोपित**
10. बलराम पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. गुड्डी देवी पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. गीता पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. सरवती पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) - **मृत**

13/1 चिड़िया पुत्री स्व. श्रीमती सरवती पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

13/2 हनुमान पुत्र स्व. श्रीमती सरवती पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

14. सावित्री पुत्री स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.04.26 11:34:37 IS
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गुड्डी देवी पत्नी स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
कुलदीप पुत्र स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
प्रहलाद पुत्र स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
राजेश पुत्र स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
तारा देवी पुत्री स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
सुलोचना पुत्री स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
बिरमा देवी पुत्री स्व. श्री सुल्तान पुत्र स्व. श्री चतरूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 16.4.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 21 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी को तहसील संगरिया के चक 19 ए.एम.पी. के खाता सं. 7/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.519 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. अर्जन पुत्र श्री लिछमन का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....X..... निल .....X..... मुब्लिक .....X.....निल .....X..... बाबत् .....X..... निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 16.4.24..... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:37 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर(राजस्व),
संगरिया

Web Copy - Not Official